



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/99/2016/एफ.सी. /421

दिनांक: 5/11/16

श्रीवा में,

विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

विषय : 400 के०वी०डबल सर्किट मैनपुरी-अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1 वृक्ष के पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे० आरक्षित व 0.0276 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे० संरक्षित/आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 83 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- पी/151/ 14-2-2016-800(151)/2016  
दिनांक- 25.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर गुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं

1. The proposal has been submitted without examining minimum three alternatives, as per D(ii) of part I but a map showing three alternatives is placed at page 176 which has not been authenticated by the concerned DFOs.
2. As mentioned in G part I that the proposal has been submitted with Benefit Cost analysis but the proposed forest land diversions is < 20 ha and thus benefit cost analysis is not required.
3. In part II, the Social Forestry Division, Aligarh DFO has mentioned legal status of a forest patch as "proposed RF (section 4 under IFA 1927)" which requires clarification.
4. The proposal requires submission of two enumeration lists for each division providing details of trees/poles standing on proposed forest land and trees/poles required to be felled. The details of pole crop needs submission.
5. The NPV calculation of Social Forestry Division Etah (page 52) is based on incorrect NPV rates.
6. Social Forestry Division, Etah & Social Forestry Division, Hathras have proposed compensatory afforestation in linear patches of protected forests along Etah Tundla Road and Hathras Mathura Road respectively. The proposed CA patches need to be shifted to a forest block of one division so that the compensatory afforestation raised in future will be saved from future road widening.

5/12/16

7. The site suitability certificate for compensatory afforestation proposed in Social Forestry Division, Aligarh is incorrect.
8. The CA schemes have been prepared without incorporating cost escalation due to inflation.

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।


संलग्नक— मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), 17 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा, हाथरस एवं अलीगढ़।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा, हाथरस एवं अलीगढ़।
5. जनरल मैनेजर साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कं० लि० शालीमार टाइमनियम 601 छटा तल प्लाट संख्या/टीसी/जी.1ए विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाइल
8. आदेश पत्रावली।


  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक— 1218 /समेकित/13285/2015/यूपी-192, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 08, 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियों इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि० 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा इंगित बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा, हाथरस एवं अलीगढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि० 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि जनरल मैनेजर, साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कं० लि० शालीमार टाइमनियम, 601 छटा तल विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
(सुरेश चन्द्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।